ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 152-154
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

कोविड–19 के दौरान प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावकों का ऑनलाइन शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

1. डॉ0 वन्दना कुमारी
2. सोनम कुमारी

1. शोध निर्देशिका, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, 2. शोध अध्येत्री– समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

30.08.2023, Revised-06.09.2023, Accepted-11.09.2023 E-mail: akbar786ali888@gmail.com

सारांशः ***शिक्षा मानव की बुनियादी गतिविधियों में से एक है। शिक्षा का अर्थ शिष्यों अथवा विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान करा देना मात्र नहीं है, बल्कि उनका पालन करना अथवा उस व्यक्ति में ऐसी आदतों और ऐसे स्वभाव का विकास करना होता है, जिनसे वह व्यक्ति भविष्य का भलिभांति मुकाबला कर सके। प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के शरीर और आत्मा में उनकी सामर्थ्यानुसार समस्त पूर्णता तथा सौंदर्य भर देना भी है । अरस्तु के अनुसार शिक्षा देने का अर्थ है "मानव की मानसिक शक्तियों, विशेष रूप से मन का विकास करना है तॉकि वह महान तथा श्रेष्ठ सत्य के चिन्तन, सौन्दर्य तथा भलाई का आनन्द प्राप्त कर सके।" रस्किन के अनुसार "शिक्षा लोगों का जिस तरह से सुशील होना चाहिए, बना देती है।" सुमनेर ने शिखा की व्याख्या करते हुए कहा कि शिक्षा बालक को वर्ग या समुदाय की रूढिया प्रेषित करने का प्रयास बताया है जिससे वह समझ जाये कि किस प्रकार आचरण मान्य है और किस प्रकार का अमान्य। सभी प्रकार के मामलों में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, उसे किस बात में विश्वास अथवा किस बात को अस्वीकार करना चाहिये। दुर्खिम ने कहा कि "वास्तव में बच्चें को देखने, अनुभव करने तथा कार्य करने के तरीके बताने का सतत् प्रयत्न किया है जॉकि वह सम्भवतः अपने आप सीख सकता है।"***

कुंजीभूत शब्द– मन का विकास, असत्य के चिन्तन, सौन्दर्य, भलाई, समुदाय, रूढिया, आचरण, ऑनलाइन शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा।

व्यापक शब्दों में 'शिक्षा' शब्द की व्याख्या करते हुए इसे एक ऐसी प्रक्रिया बताया गया है, जिससे किसी समुदाय की सामाजिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है तथा बालक सामाजिक व्यवहार के नियम सीखता है। यह बालक की याद में बड़ा हो जाने पर बड़ें अथवा व्यस्क कार्यों को कर सकने के लिए शिक्षा–दीक्षा है। यह समाजीकरण का पर्यायवाची है और जीवन के आदर्शों के अनुसार आने वाली पीढ़ियों के कार्य व्यापारों के आकार–प्रकार का विकास है। इसका सम्बन्ध सामाजिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने से है।

प्राथमिक शिक्षा का सामानय अर्थ प्रारम्भिक या मुख्य शिक्षा होता है। प्रारम्भिक शिक्षा इसलिए कि यह बच्चों को प्रारम्भ में दी जाती है और मुख्य शिक्षा इसलिए कि यह आगे कि शिक्षा का आधार होती है। इस प्राथमिक शब्द के पीछे एक भाव और छिपा है और वह यह है कि इसके द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया प्रथम आवश्यकता सम्प्रेषण के माध्यम से भाषा की शिक्षा दी जाती है और उन्हें सामाजिक जीवन जीने की प्राथमिक क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता है, परन्तु प्राथमिक शिक्षा बच्चों की किस आयु से किस आयु तक चले अथवा किस कक्षा तक चले और इसकी क्या पाठ्यक्रम है? इस विषय पर भिन्न–भिन्न देशों में भिन्न–भिन्न मत पाये जाते हैं। इस समय हमारे देश में 6 से 14 आयु के बच्चों की कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आती है।

प्रस्तुत लेख में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की कोरोना के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के प्रति शैक्षणिक वातावरण का अध्ययन करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोरोना क्या है इसकी चर्चा की जाय तब प्राथमिक शिक्षा जगत पर इसके प्रभाव का विवरण प्रस्तुत किया जाये।

कोविड–19 एक वैश्विक महामारी है, जो कोरोना वायरस के संक्रमण से फैलती है। इस महामारी की शुरूआत चीन के वुहान शहर से वर्ष 2019 में हुई। आज पूरा विश्व इसकी चपेट में है और कोरोना वायरस के संक्रमण से आज भी जूझ रहा है। इसका संक्रमण बहुत घातक है। इसके संक्रमण से भारत में हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 30 जनवरी, 2020 को भारत में कोविड–19 महामारी फैलने की पुष्टि हुई। 09 अगस्त, 2020 तक इस वायरस से भारत में 21,58,320 मामलों की पुष्टि की है जिसमें 43,518 मामलों की पुष्टि लोगों की मृत्यु हुई है।

इस महामारी का पहला मामला केरल के तृशुर इलाके में मिला। इस प्रकोप को केन्द्र सरकार के द्वारा महामारी घोषित किया गया है जिसके कारण महामारी रोग अधिनियम–1897 के प्रावधानों को लागू किया गया है। सरकार ने इस महामारी की रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया था। लॉकडाउन की स्थिति में देश की वाणिज्यिकी, निर्माणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। जिससे देश की अर्थव्यवस्था एवं सभी क्षेत्रों में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस समस्या से उबरने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किये गये।

छात्र हितों एवं उनके जीवन को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक को ऑनलाइन माध्यम से दिये जाने का निर्णय लिया गया। उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देने का निर्णय कुछ हद तक सही है लेकिन समस्या उन बालकों की है, जिनकी अभी न तो समझ विकसित हुई है और न ही शारीरिक रूप से विकसित हो पाए हैं। ऐसे में प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सकता है ? कोरोना काल में छात्रों की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दिये जाने के निर्देश दिए गए थे।

सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि इन बालकों के साथ अनेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की परिस्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं है जितनी

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

समझी जाती है। इन बालकों के पास उन मूलभूत संसाधनों का भी अभाव है, जो कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं।

इन बच्चों के अभिभावक किसी तरह अपने परिवार का भरण–पोषण कर पाते हैं। विद्यालयों में नामांकन के पीछे अभिभावकों को एक उद्देश्य यह भी होता है कि उनके बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगी, जूते–मोजे मिल जायेंगे जो कि कुछ हद तक उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहयोग करेंगे। इन बालकों की निम्न आर्थिक स्थिति इन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं से केवल आर्थिक लाभ उठाने तक ही सीमित कर देती है, जबकि सरकारी योजनाएं बालकों के समग्र विकास के लिए चलाई जा रही है। कोविड–19 के दौरान हमारे देश की सरकारों एवं नीति–निर्माताओं द्वारा सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा दिये जाने के जो आदेश निर्गत किया गया है, उसे जमीनी हकीकत पर लागू कर पाना संभव नहीं है क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए एंड्रायड फोन, लैपटॉप, इंटरनेट आदि की आवश्यकता होती है, जबकि आज भी हमारे देश की 60–70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है। शिक्षकों द्वारा तो अपना कार्य जिम्मेदारी पूर्वक पूर्ण किया जा रहा है, लेकिन छात्र उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। कई बच्चे इन स्मार्ट उपकरणों को संचालित नहीं कर पाते हैं, जिससे उनमें तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है।

कक्षा–1 का बालक जिसका इसी वर्ष विद्यालय में नामांकन हुआ है, जो पूरी तरह से अपने शिक्षक–शिक्षिका को पहचानता तक नहीं है हम कैसे उम्मीद कर सकते हें कि वह ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा सदैव से ही समाजीकरण की एक प्रक्रिया रही है। जब–जब समाज का स्वरूप बदला है शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। संकट की घड़ी में ऑनलाइन शिक्षा तो सही है लेकिन इसे कक्षाओं का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। सरकारों को प्राथमिक स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर देना चाहिए। जैसे ही देश में सामान्य स्थिति बनेगी इन बच्चों की शिक्षा को पूर्व की तरह संचालित किया जाये। तॉकि उनमें शिक्षा के प्रति लगाव एवं शिक्षा समझ विकसित हो सके।

साहित्य समीक्षा– अंजना अग्रवाल एवं राज कुमार ने कोविड–19– ऑनलाइन शिक्षा एवं परिषदीय छात्र'' शोध पत्र में ऑनलाइन शिक्षा को आमने–सामने दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकल्प बताना भारत के लिए अन्यायपूर्ण माना है। शोधकर्ताओं ने ऑनलाइन शिक्षा एवं परिषदीय छात्र पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए इन संसाधनों को जुटा पाना इनके लिए अन्यंत कठिन कार्य है।

अध्ययन के उद्देश्य–

1. प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावकों के पास ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावकों का कोविड–19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

उपकल्पना–

1. ग्रामीण तथा नगरीय प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावकों के पास ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित संसाधनों का पर्याप्त अभाव है।
2. प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावकों का ऑनलाइन शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है।
3. अभिभावकों की दयनीय आर्थिक स्थिति ऑनलाइन शिक्षा के बाधक हैं।

अध्ययन क्षेत्र– प्रस्तुत अध्ययन के लिए बिहार के नालन्दा जिला के बिहारशरीफ के एक ग्रामीण तथा एक नगरीय प्राथमिक विद्यालय का चयन किया गया है।

न्यायदर्श– चयनित ग्रामीण तथा नगरीय विद्यालयों के 50–50 (100) विद्यार्थियों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति से किया गया है।

उपकरण– आंकड़ों का संकलन अनुसूची प्रविधि द्वारा किया गया है। अनुसूची का प्रयोग चयनित 100 विद्यार्थियों के अभिभावकों पर किया गया है तथा उनसे तथ्यों का संकलन किया गया है।

तालिका–01 के अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्रमशः 24 प्रतिशत तथा 76 प्रतिशत अभिभावकों ने तथा नगरीय 40 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत अभिभावकों ने प्रश्न संख्या–1 का क्रमशः सकारात्मक एवं नकारात्मक उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या–2 का सभी ग्रामीण एवं नगरीय अभिभावकों ने नकारात्मक उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या–3 का शत प्रतिशत अभिभावकों ने सकारात्मक उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या–4 का उत्तर सभी ग्रामीण एवं नगरीय अभिभावकों ने नकारात्मक उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या–5 का 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत ग्रामीण अभिभावकों ने तथा 70 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत नगरीय अभिभावकों ने क्रमशः सकारात्मक तथा नकारात्मक उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या–6 का 10 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत ग्रामीण अभिभावकों ने तथा 22 प्रतिशत एवं 78 प्रतिशत नगरीय अभिभावकों ने क्रमशः हाँ तथा नहीं में उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या–7 का 12 प्रतिशत तथा 88 प्रतिशत ग्रामीण अभिभावकों ने तथा 26 प्रतिशत एवं 24 प्रतिशत नगरीय अभिभावकों ने क्रमशः सकारात्मक एवं नकारात्मक उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या–8 का 26 प्रतिशत तथा 74 प्रतिशत ग्रामीण अभिभावकों ने एवं 40 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत नगरीय अभिभावकों ने क्रमशः हाँ तथा नहीं में उत्तर दिया है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

		ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय		नगरीय प्राथमिक विद्यालय	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
(1)	[illegible]	12 24.0	38 76.0	20 40.0	30 60.0
(2)	[illegible]	–	50 100.0	–	50 100.0
(3)	[illegible]	50 100.0	–	50 100.0	–
(4)	[illegible]	–	50 100.0	–	50 100.0
(5)	[illegible]	30 60.0	20 40.0	35 70.0	15 30.0
(6)	[illegible]	05 10.0	45 90.0	11 22.0	39 78.0
(7)	[illegible]	06 12.0	44 88.0	13 26.0	37 74.0
(8)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20 40.0	30 60.0

		ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय		नगरीय प्राथमिक विद्यालय	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
(1)	क्या आप कोरोना अवधि में अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिलाये हैं ?	05 10.0	45 90.0	12 24.0	38 76.0

ऊपर की तालिका से स्पष्ट होता है कि 10 प्रतिशत ग्रामीण अभिभावकों ने कहा कि कोरोना अवधि में उसने अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिलवाये हैं, जबकि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नकारात्मक उत्तर दिया। नगरीय अभिभावकों में से 24 प्रतिशत अभिभावकों ने सकारात्मक तथा 76 प्रतिशत अभिभावकों ने नकारात्मक उत्तर दिया। नकारात्मक उत्तर देने वाले अभिभावकों ने कहा कि वे आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दिला पाये।

निष्कर्ष– प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा छोटे–छोटे बच्चों के लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं हुए हैं। इसका एक कारण यह है कि छोटे बच्चों में उतनी बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई है कि वह ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव से प्रभावित हो। दूसरा कारण यह है कि उनके पास ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित सामग्री नहीं है। अतः ऑनलाइन के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पएघना, पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, परीक्षा लेना आदि अव्यवहारिक है, क्योंकि ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति ऑनलाइन शिक्षा के अनुकूल नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, पी०के०, (2004) : प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक, भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली।
2. विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) : डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा–निर्देश।
3. वाडिया, लीला चंदन (2020) : कोविड–19 के दौर में ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत और चुनौतियाँ।
4. अहमद वसीम, एवं कुमार अनिल (2020) : कोरोना महामारी में ऑनलाइन शिक्षा की भूमिका, चुनौतियाँ और भविष्य : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।
5. श्रीवास्तव, एस० एंड दवे, एस०सी० (2021) : कोविड–19 सिनेरियो ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन।
6. अरोड़ा, ए०के० एंड श्रीनिवास आर० (2020) : इम्पैक्ट ऑफ पेडिमिक कोविड–19 ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस : ए स्टडी ऑफ हायर एजुकेशन टीचर्स।
7. https://www-education-gov-in
8. https://hi-m-wikipedia-org-

*****